



स्त्री – विमर्श की उत्तर गाथा

प्रियंका कुमारी

हिंदी विभाग, महात्मा गाँधी महाविद्यालय, दरभंगा

किंवदंती है कि आधुनिक काल में पहली बार स्त्री के हाथों में कलम आई है और समय समय के साथ – साथ उस कलम की पकड़ भी मजबूत होती जा रही है । आधुनिक रचना का इतिहास साक्षी है कि इस कलम में पहली बार औरत ने अपने हाथों से, अपनी भाषा में, अपने को लिखा है, अपने इतिहास को अपने वर्तमान को और अपने आकांक्षित भविष्य को भी उनके त्रास, पूरे संघर्ष और पूरी संभावनाओं में । अब तक के इतिहास में उसे अन्यों ने लिखा था, अब वह अपने को खुद परिभाषित कर रही है । थे स्त्रियाँ मानती हैं कि इनकी अपनी संस्कृति है, अपना इतिहास है, अपनी भाषा है तथा अपनी देह है जो पुरुषों से भिन्न है । स्त्रियों के इस सोच को, चिन्तन को, इनकी मान्यताओं को स्त्री-विमर्श नारीवाद, नारीवादी आन्दोलन, उत्तर आधुनिकतावादी स्त्री विमर्श की संज्ञा दी जा रही हैं । स्त्री विमर्श को कुछ विचारक मार्क्सवाद का विकास या विस्तार मानते हैं । तथा कुछ इस संरचनावाद या उत्तर संरचनावादी विचार करते हैं ।

आगे चलकर जैसे-जैसे परिस्थितियों में परिवर्तन आता गया, स्त्री के प्रति समाज के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आता गया । जहाँ वैदिक युग में स्त्री को अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान मिला था, वहीं उसके बाद स्त्री के गौरव का निरंतर अवमूल्य होता रहा । जो स्त्री देवी थी अब वह मानवी बनकर रह गई । पुरुष अपनी स्वच्छंदता का

उपभोग करता रहा तथा स्त्री वर्जनाओं की परिधि में कैद रही स प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखिका सीमोन के अनुसार “स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है । स्त्री को वचन से ही मानसिक तौर पर उसके स्त्री होने का अहसास दिलाया जाता है स पितृ सत्तात्मक समाज स्वयं कि सत्ता को बनाये रखने के स्त्री को जन्म से ही उनके नियम से घेर देता है स सिमोन लिखती है :— औरत जन्म से ही औरत नहीं होती, बल्कि औरत बनाई जाती है स कोई भी जैविक, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक नियति आधुनिक स्त्री के भाग्य की अकेली नियंता नहीं होती स दृ (1) जैसे- जैसे पश्चिमी चिन्तन तथा जीवन शैली का प्रभाव भारतीय समाज पर पड़ा वैसे दृ वैसे स्त्री वर्जनाओं को तोड़ने में सक्षम होने लगी । शिक्षा, विज्ञान और सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तनों से स्त्री की स्थिति में परिवर्तन आने लगा । आधुनिक शिक्षित स्त्री अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई, जिससे वह प्राचीन रुढ़ियों से मुक्त होने का प्रयास करने लगी । आधुनिक युग में आर्थिक उदारीकरण, सूचना प्रसारण की नई विधियों आदि ने साहित्य को पूर्णरूपेण परिवर्तित कर दिया । पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव तथा नवीन सांस्कृतिक बोध के कारण नवीन दृष्टि का जन्म हुआ तथा हाशिए पर धकेल दी गई स स्त्री समाज में अपना खोया हुआ स्थान ढूँढने लगी, यहीं से स्त्री विमर्श कि शुरुआत होती है स मूल रूप से स्त्री मुक्ति के आस-पास केन्द्रित रहने वाला

साहित्य स्त्री विमर्श माना गया है । हिन्दी साहित्य के स्त्री-विमर्श के संबंध में कृष्णदत्त पालीवाल लिखते हैं:- "स्त्री की व्यथा पर आधुनिक काल के सभी रचनाकारों ने लेखनी उठाई है । लोक उदय और लोक चिन्ता रचना कर्ता की सच्ची पहचान है । साहित्य हमारे मानुष भाव की रक्षा का प्रयत्न है. जो हमें बेहतर मनुष्य बनाता है। भाव परिष्कार करता है और मनुष्यता की उच्च भूमि पर लेजाकर खड़ा कर देता है । भारत में स्त्री विमर्श की शुरुआत के बारे में 'हंस' जनवरी दृ फरवरी 2000 ई. के विशेष अंक की सम्पादिका अर्चना वर्मा लिखती हैं कि 1978 ई. में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष था । इसी वर्ष, भारत स्त्री आन्दोलन की विधिवत् शुरुआत हुई। दिल्ली के एक कॉलेज में जहाँ वे पढ़ाती हैं । वहीं स्वाधीन स्त्रियों की पहली पीढ़ी इसी कॉलेज से निकली है – जिनमें प्रमुख हैं: मधुकिश्वर, रूथ वनिता, उर्वर्ष बुटालिया, मायाराव, कीर्ति सिंह, मीरा नायर, त्रिपुरारी शर्मा आदि । अर्चना वर्मा स्त्रियों की मुक्ति स्वाधीनता में देखती हैं और कहती हैं: "स्वाधीनता का चुनाव अंततः अकेलेपन का चुनाव है और लम्बे अकेलेपन की परिणति इस अहसास में होती है कि सृजनात्मक सक्रियता जैसे एकाध अपवादों को छोड़कर कैरियर की सफलता जीवन में सार्थकता का स्रोत नहीं हो सकती । मातृत्व स्त्री प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सार्थकता का एक सहज अवसर है पूर स्वाधीन स्त्री के लिए वर न केवल कैरियर में बाधक, अनावश्यक सिरदर्द बल्कि पराधीनता की कुंजी भी है। स्त्री- विमर्श के जबर्दस्त लेखिका प्रभा खेतान का कहना है कि स्त्री-विमर्श के समझने और समझाने के अपने तर्क हैं । इनमें दम

है और किसी को अपने विचारों से कायल करने की क्षमता भी है । उन्होंने हंस के जनवरी-फरवरी 2000 अंक के में "स्त्री-विमर्श : इतिहास में अपनी जगह शीर्षक से एक आलेख लिखा जिसमें इनके चिन्तन को देखा जा सकता है। इस आलेख में उन्होंने स्त्री विमर्श की उत्तर आधुनिक समझ के साथ इसके इतिहास को भी बताने का प्रयास किया है। पश्चिमी दर्शन की अधिकतर अवधारणाओं एवं सिद्धांतों का आधार जैसा कि 'एलिसन जंग' कहती है- "दुनिया को तौलने का पुरुषोचित नजरिया हैं। हालांकि कुछेक दार्शनिक जैसे प्लेटो, जॉन स्टुअर्ट मिल एवं मार्स ने स्त्री पुरुष को समकक्ष रखने की चेष्टा भी किन्तु इनमें से अधिकतर दार्शनिक अरस्तू, कान्ट, हीगेल और नीत्शे को स्त्री जाति की बौद्धिक और तार्किक क्षमता पर गहरा सन्देह था" । स्त्री दलन के संदर्भ में इन्हीं दिनों सुलाभिय फायरस्टोन ने यह कहा कि "स्त्री वास्तव में जन्म से स्त्रीकरण का शिकार है। स्त्री होने के लिए उसे पुरुष सत्ता का वर्चस्व स्वीकारना पड़ता है। वह सत्ता द्वारा निर्धारित होने को बाध्य है और इसी को लिंगीकरण अर्थात् जेंडराइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं । गायत्री स्पीवॉक के अनुसार इस उत्तर औपनिवेशिक दुनिया में स्त्रीकरण से उत्पन्न जटिल समस्याओं का सामना केवल उत्तर आधुनिक तरीके से ही किया जा सकता है । बात यह है कि उत्तर आधुनिकवाद में विभिन्नता का विचित्र जमावड़ा है । सत्ता, सेक्स और स्त्रीकरण के बीच संबंध स्थापित करते हुए हम कह सकते हैं कि "स्त्री कामना की राजनीति अपने प्राचीन रूप में मानव

संघर्ष का सबसे गहरा मुद्दा स्त्री पुरुष का यह संघर्ष है जो कि मानव सभ्यता में एक बेमिसाल उदाहरण है”।

निष्कर्ष:

पश्चिम जिस जनतंत्र की विजय घोषणा कर रहा है वह पुरुषों का जनतंत्र है। यह ऐसा जनतंत्र है जहाँ अमीर और अमीर तथा गरीब और गरीब होता जा रहा है। जहाँ स्त्री के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है। मार्क्सवाद खतम हो सकता है, मगर समाजवाद तो नहीं।

संदर्भ सूची:—

1. सीमोन द बोउवार दृ अनुवादक प्रभा खेतान, स्त्री उपेक्षिता—121
2. कृष्णदत्त पालीवाल, उत्तर आधुनिकता की ओर पृ०—139
3. स्त्री—विमर्ष के असली नकली चेहरे — डॉ० ब्रज कुमार पण्डे पृ० 75
4. वहीं पृ० 77, 78, 82, 88



र व का बोध बाबा साहेब भीम राव अंबेदकर के दृष्टि में

अविनाश कुमार

राजनीतिक विज्ञान विभाग

महात्मागांधी महाविद्यालय, सुंदरपुर, दरभंगा

डा० भीमराव अंबेदकर जिन्हें हम सब बाबा साहेब भीम राव अंबेदकर के नाम से पुकारते हैं जानते हैं। बाबा साहेब का जन्म 1891 में हुआ। 'बाबा साहेब आधुनिक भारतीय राजनीति-विचारक थे। जिन्हें दलितों के मसीहा और 'भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में याद किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में हिन्दू समाज में अत्याचारपूर्ण तत्वों के प्रति विद्रोह के प्रतिक थे। उन्होंने हिन्दुओं में अछूत या अस्पृश्य मान जाने वाली जातियों को संगठित किया शासन के अंगों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष किया और उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्वयं अछूत जाति में जन्म लेकर उन्होंने अनवरत संघर्ष और आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। बाबा साहेब के मन पर जिन विचारकों का प्रभाव पड़ा उनमें महात्मा बुद्ध, महात्मा फुले अमेरिकी दार्शनिक जॉन डुयूई का विशेष स्थान है। बाबा साहेब के द्वारा लिखित चर्चित पुस्तक में से एक (जाति-प्रथा का उन्मूलन) के अन्तर्गत हिन्दू वर्ण व्यवस्था के विस्तृत विप्लेशन करने के बाद छुआ छूत या अस्पृश्यता की प्रथा में निहित अन्याय पर प्रकाश डाला। बाबा साहेब ने यह विचार रखा कि तथा कथित अछूत ही अधूतों को नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो बाबा साहेब ने दलित वर्गों के आत्म-सुधार में विश्वास करते थे। अतः उन्होंने इन जातियों को

मंदिरा-पान और मांस भक्षण जैसी आदतों को छोड़ने की सलाह दी क्योंकि ये आदतें स्थिति के साथ जुड़े हुए कलंक का मूल कारण था। उन्होंने उन्हें आपने बच्चे के शिक्षा-दिक्षा पर विशेष ध्यान देने और आत्म सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने का रास्ता दिखाया। उन्होंने नारा दिया शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। उन्होंने दलितों को अपने अधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय का सहारा लेने के लिए प्रेरणा भी दी। उन्होंने हिंदू धर्म के भीतर सवर्ण हिंदुओं और निम्न जातियों के बीच समानता का आंदोलन चलाया जिसमें मिलजुल कर पूजा करने और सम्मिलित प्रीतिभोज में भाग लेने पर बल दिया। महात्मा गांधी का विचार एवं बाबा साहेब के विचार नहीं मिलते थे खासकर दलितों के उत्थान को लेकर गांधी जी ने श्रम की गरिमा पर बल देने के लिए अस्पृश्य जातियों के लिए हरिजन (ईश्वर का भक्ति करने वाला) शब्द का प्रयोग सुझाया परंतु बाबा साहेब ने तर्क दिया कि टूटे-फूटे मकान की रंगई-पुताई करके उसकी दुर्दशा को छुपाया तो जा सकता है परंतु सुधारा नहीं जा सकता ऐसी हालत में उसे गिराकर नया मकान बनाना ही उपयुक्त होगा।

जहां गांधी जी शक्तियों के विकेंद्रीकरण और पंचायती राज के समर्थक थे, वहीं अंबेदकर ने देश की एकता अखंडता के हित में एकात्मक शासन प्रणाली का समर्थन किया। बाबा साहेब के अनुसार भारत की जाति प्रथा लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने

Crossponding author: अविनाश कुमार

Email : akavinash118@gmail.com

Date of Acceptance : 22.08.2024

Date of Publication : 30.11.2024

चेतावनी दी कि भारत में वीर-पूजा भावना लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। बाबा साहेब के अनुसार भारत में लोकतंत्र की दुर्दशा का कारण यह नहीं था कि यहां के अधिकांश मतदाता निरक्षर थे। इसका मुख्य कारण यह था कि यहां का नेतृत्व करता मतदाताओं को पालतू पंशुओं की तरह हांकने में विश्वास करता था। उसे विधि के शासन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कोई अभिरुचि नहीं थी।

बाबा साहब इस बात से दुखी थे कि देश में समानता का नितांत अभाव है। बाबा साहब यह मानते थे कि मनुष्य में केवल राजनीतिक समानता और कानून के समक्ष समानता करके समानता के सिद्धांत को पूरी तरह सार्थक नहीं किया जा सकता जब तक सामाजिक-आर्थिक समानता स्थापित नहीं की जाती, तब तक उनकी सामानता अधूरी रहेगी। बाबा साहब भारतीय संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय उन्होंने संविधान सभा में कहा था इस संविधान को अपना कर हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं इसे राजनीतिक जीवन में हमें समानता प्राप्त हो जाएगी परंतु सामाजिक और आर्थिक जीवन में विषमता कायम रहेगी।

डॉ० आंबेडकर के अनुसार छुआछूत की जड़े हिंदू वर्ण व्यवस्था में निहित है अतः इसको प्रथा को मिटाने के लिए वर्ण व्यवस्था का अंत जरूरी है। डॉ० आंबेडकर ने यह मत रखा कि दलित जातियों का उद्धार तब होगा जब उनके अधिकारों की रक्षा और शिकायतों के निवारण की कानूनी व्यवस्था कर दी जाएगी और इसके साथ राजनीतिक सत्ता भी उनके हाथों में आ जाएगी।

हिंदू धर्म के भीतर निम्न जातियों के उधार की संभावनाएं धूमिल होती देखकर आंबेडकर ने अपने अनुयायियों को

बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी और अपने अंतिम दिनों में स्वयं भी यह धर्म अपना लिया। इसके अलावा उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान मौलिक अधिकारों और केंद्र में मजबूत सरकार के क्षेत्र में अधिक जोर दिया। उन्होंने एक मजबूत केंद्र सरकार का समर्थन किया, क्योंकि उन्हें डर था कि स्थानीय और प्रांतीय स्तर पर जातिवाद अधिक शक्तिशाली है तथा इस स्तर पर सरकार उच्च जाति के दबाव में निम्न जाति के हितों की रक्षा नहीं कर सकती है। इस कारण डॉ० आंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा कि इसके बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा और हृदय है यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत सरकारें इन दबावों से प्रभावित हैं इसलिए वह निचली जाति का संरक्षण सुनिश्चित करेगी।

उन्होंने लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में महत्व दिया अर्थात् लोकतंत्र का महत्व केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी है केवल एक लोकतांत्रिक समाज में ही लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो सकती है इसलिए जब तक भारतीय समाज जीवन में जाति की व्यवस्थाएं मौजूद रहेगी वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती है। इसलिए उन्होंने लोकतंत्र और सामाजिक लोकतंत्र सुनिश्चित करने के लिए लोकतंत्र के आधार रूप में बंधुत्व और समानता की भावना पर ध्यान केंद्रित किया। आदूरदर्शिता के कारण गाँधी एवं कांग्रेसी नेताओं के विभाजनकारी निति के फलस्वरूप कश्मीर में धारा 370 लागू करवाया। जिस राष्ट्रीयता को केन्द्र में रखकर के 1857 के विद्रोह के पाश्चात भारत के लोगों में स्व की भावना का विकास बड़ी तिब्र गति से हुआ। यह स्वतंत्रता आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन तक

आते-आते 1947 में विधिवत से देश आजाद हुआ। हमारे कुछ कुण्ठित सोच और विसंगतियों के कारण भारत का शीश मुकुट कहे जाने वाले कश्मीर में 17 अक्टूबर 1949 को धारा 370 के कारण कश्मीर को आजाद नहीं करा पाये। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेदकर धारा 370 के विरोध में थे लेकिन शेख अब्दुला के सेकुलर प्रेम के कारण देश के तात्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस विसंगतपूर्ण धारा को यथावत बनाये रखा। यद्यपि हम कह सकते हैं कि देश को आजादी 1947 में मिली लेकिन बटवारे के बाद शेख अब्दुला ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत से दलित समाज के लोगों को झूठा स्वप्न दिखाकर कश्मीर लाकर बसाया। धारा 370 के स्थायी होने कारण आजादी से लेकर 2019 तक उन दलित परिवारों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। जिसके कारण वे सामाजिक मुख्यधारा में पिछड़ते चले गये न उनका शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास न के बराबर हुआ। काश्मीर में जो सरकारें बनती रही उन्होंने उनके हितों को सामने में रखकर कोई योजना नहीं बनाई। जिसके फलस्वरूप उनके मन में हीन भावना सरकारों के प्रति बनती चली गयी। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार के द्वारा जब कश्मीर से धारा 370 हटाने की घोषणा की गई तब इन लोगों को लगा की हम स्वतंत्र भारत में सॉस ले रहे हैं और आजादी का मर्म इन दलित परिवारों ने पहली बार महसूस किया। वस्तुतः इतिहासकार "आर.सी.गुहा" के द्वारा कहीं बातों पर ध्यान जाता है कि डॉ० अंबेदकर अधिकांश विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता का अनूठा उदाहरण है। आज भारत जातिवाद, अलगाववाद, लैंगिक असमानता

आदि जैसी कई सामाजिक, आर्थिक, चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमें अपने भीतर अंबेदकर की भावना को खोजने की जरूरत है। ताकि हम इन चुनौतियों से बाहर निकल सकें।

संदर्भ सूची :

1. डॉ राजेंद्र मोहन भटनागर:— डॉ आंबेडकर का राजनैतिक जीवन
2. सी वी खेरमोर: — डॉ आंबेडकर की आत्मकथा
3. धनंजय कीर : — लाइफ एंड मिशन
4. आर सी वर्मा : — डॉ आंबेडकर के राजनैतिक विचार
5. एच एल दुसाध: — सामाजिक न्याय के चौपियन: डॉ आंबेडकर
6. रागिनी वर्मा :- लोकतंत्र के समर्थक के रूप में डॉ आंबेडकर
7. राजीव रंजन प्रकाश:- देश की अखंडता और डॉ आंबेडकर

...